रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2277] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2019/आषाढ़ 21, 1941
No. 2277] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2019/ASHADHA 21, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 2503(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1175 (अ), तारीख 22 मार्च, 2016 और का. आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी,1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 24 के हापुड़ बाइपास सेक्शन के क्रमशः 27.60 किमी से 59.00 किमी सहित दिल्ली-गाजियाबाद खंड के 0.000 किमी से 27.620 किमी और गाज़ियाबाद से हापुड़ का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात"नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का. आ. 2048 (अ), तारीख 23.08.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (हापुड़ बाइपास सहित गाज़ियाबाद-हापुड़ सेक्शन) के 11.250 किमी के बाइपास और 27.643 किमी से 48.638 किमी के 4 लेन खंड के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को प्राधिकृत करती है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात"नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का. आ. 2048 (अ), तारीख 23.08.2012 के अधिक्रमण में, एतद्द्वारा

उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 9(पुराना रारा-24) के दिल्ली-हापुड़ सेक्शन के डिज़ाइन 0.000 किमी से 50.934 किमी (विद्यमान 0.000 किमी से 50.000 किमी) के चार या उससे अधिक लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 43.786 कि.मी. और 70.580 कि.मी (जिनकी लबाई 7.058 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर और नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है (यह भी उल्लिखित है कि यद्यपि हापुड़-मुरादाबाद सेक्शन के बाद वाली परियोजना का डिज़ाइन चेनेज 50.000 किमी माना गया है। तथापि उल्लेख है कि दिल्ली-हापुड़ और हापुड़-मुरादाबाद परियोजना की सड़क लंबाई के मध्य कोई ओवरलैप नही है।) एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी-2	
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में पिलखुआ के निकट छजरसी गाँव में रारा-9 (पुराना रारा-24) के डिज़ाइन चेनेज 39.730 किमी पर (विद्यमान चैनेज 38.810 किमी)	43.876 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी - 3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में पिलखुआ के निकट छजरसी गाँव में रारा-9 (पुराना रारा-24) के डिज़ाइन चेनेज 39.730 किमी पर (विद्यमान चैनेज 38.810 किमी)	7.058*	70.580	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	डिज़ाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	(-) 0.492	0.228	सिर्फ एलएचएस की 720 मी की एलिवेटेड संरचना (जो इंटरचेंज का भाग है)	0.360
2	0.529	1.080	बड़ा पुल	0.551
3	1.888	2.208	एलिवेटेड संरचना	0.320
4	6.842	7.047	एलिवेटेड संरचना	0.205
5	7.904	8.190	एलिवेटेड संरचना	0.286
6	8.956	9.160	बड़ा पुल	0.204
7	14.524	14.736	बड़ा पुल	0.212
8	20.447	20.567	आर ओ बी	0.120
9	33.315	33.435	बड़ा पुल	0.120
10	40.655	45.335	एलिवेटेड संरचना	4.680
कुल				**7.058**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारिणी-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. चार लेन राजमार्ग को 6 लेन के उन्नयन की प्रक्रिया के दौरान, शुल्क दर, नियम 4 के उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत तक जो उन्नयन से संबन्धित कार्य के आरंभ होने की तारीख से, परियोजना के पूरा होने की तारीख तक, बिना किसी वार्षिक संशोधन के सीमित होगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस **परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3134.57 करोड़ रुपए है**। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं.भाराराप्रा/13013/216/सीओ/2018-19/जीसी/दिल्ली-हापुड (0.000 किमी से 50.934 किमी)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 2503(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1175 (E) dated 22nd March'2016 and S.O. 78 (E) dated 4th February'1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Delhi-Ghaziabad from km 0.000 to km 27.620 and the stretch from Ghaziabad to Hapur including Hapur bypass from kilometer 27.60 to kilometer 59.00 respectively of National Highway number 24 in the Union Territory of Delhi and in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the conferred by Section 7 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), read with Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rule"), the Central Government by notifications bearing No. S.O. 2048 (E) dated 23.08.2012 authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of four lane section from km 27.643 of km 48.638 and bypass of 11.250 km of NH-24 (Ghaziabad-Hapur section including Hapur Bypass) in the State of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the notifications bearing No. S.O. 2048 (E) dated 23.08.2012, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 43.876 km for the use of four or more lane section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 70.580 km (having length of 7.058 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of the design kilometer 0.000 to 50.934 kilometer (existing km 0.000 to km 50.000) of Delhi-Hapur Section of NH-9 (old NH-24) in the Union Territory of Delhi and in the State of Uttar Pradesh (it is also to mention that though the design chainage of the succeeding project of Hapur Moradabad section is considered as km 50.000, however, it is to mention that there is no overlap in road length between the Delhi Hapur and Hapur Moradabad project) and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 39.730 design chainage (existing km 38.810 km) of NH-9 (Old NH-24) at Chhajarsi village near Pilkhuwa in Hapur district of Uttar Pradesh	43.876 (excluding length of structure > 60 m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At km 39.730 design chainage (existing km 38.810 km) of NH-9 (Old NH-24) at Chhajarsi village near Pilkhuwa in Hapur district of Uttar Pradesh	7.058*	70.580	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details are as under: -

S. No.	**Design Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	From Km	**To Km**		
1	(-) 0.492	0.228	Elevated Structure of 720 m length of LHS only (which is part of interchange)	0.360
2	0.529	1.080	Major Bridge	0.551
3	1.888	2.208	Elevated Structure	0.320
4	6.842	7.047	Elevated Structure	0.205
5	7.904	8.190	Elevated Structure	0.286
6	8.956	9.160	Major Bridge	0.204
7	14.524	14.736	Major Bridge	0.212
8	20.447	20.567	ROB	0.120
9	33.315	33.435	Major Bridge	0.120
10	40.655	45.335	Elevated Structure	4.680
Total				**7.058**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to

the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. During the process of upgradation of the four- lane highway to six-laning, the rate of fee shall be limited to seventy-five percent of the fees as specified in sub- rule (2) of rule 4 calculated on and from the date of commencement of the work relating to upgradation, till the date of completion of the project, without any annual revision.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 3134.57 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. No. NHAI/13013/216/CO/2018-19/GC/Delhi-Hapur) (KM 0.000 to 50.934 km)]]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.15 21:38:53 +05'30'